भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2550

उत्तर देने की तारीख 17 मार्च, 2025
26 फाल्गुन, 1946 (शक)

केआईसी के अंतर्गत आवंटित / स्वीकृत / वितरित / उपयोग की गई निधि

†2550. श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकरः
श्री राजेश वर्मा:
श्रीमती शांभवी:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्री नरेश गणपत म्हस्के:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान खेलो इंडिया योजना (केआईएस) के अंतर्गत आवंटित, स्वीकृत, वितरित और उपयोग की गई निधि का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना की शुरुआत से लेकर अब तक विभिन्न जिलों में खेलो इंडिया केंद्रों (केआईसी) का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा सभी लिंगों के लिए और विभिन्न ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों तथा गुणवत्तापूर्ण खेल सुविधाओं तक सीमित पहुंच वाले लाभान्वित क्षेत्रों में खेलों के एकसमान विकास के लिए उक्त योजना के अंतर्गत उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) केआईएस के अंतर्गत परियोजनाओं के पूरा होने की अनुमानित समय-सीमा का ब्यौरा क्या है और प्रगति की निगरानी करने तथा केआईएस-वित्तपोषित परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए कौन-कौन से तंत्र मौजूद हैं; और

(ङ) क्या सरकार के पास उपर्युक्त केआईसी से लाभान्वित खिलाड़ियों की संख्या का राज्यवार आंकड़ा उपलब्ध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) इस मंत्रालय में निधियां स्कीम-वार आवंटित की जाती है राज्य-वार नहीं। पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान खेलो इंडिया स्कीम के तहत आवंटित और खर्च की गई निधियों का विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	आवंटित निधि	व्यय की गई निधि (28.02.2025 तक)
1.	2019-20	578.00	575.52
2.	2020-21	328.77	338.06
3.	2021-22	869.00	764.29
4.	2022-23	600.00	596.39
5.	2023-24	880.00	872.20
6.	2024-25	800.00	738.98

(ख) से (ङ) : 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण सभी जेंडर और विभिन्न ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों और गुणवत्तापूर्ण खेल सुविधाओं तक सीमित पहुंच वाले लाभान्वित क्षेत्रों में खेलों के एकसमान विकास, ओलंपिक सहित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए एथलीटों के प्रशिक्षण सहित खेलों के विकास का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों का होता है। केंद्र सरकार महत्वपूर्ण कमियों को दूर करके उनके प्रयासों में सहायता करती है। तथापि, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों सहित देशभर में स्थापित खेलो इंडिया केंद्रों (केआईसी) की कुल संख्या और उपरोक्त केआईसी से लाभान्वित खिलाड़ियों की संख्या का विवरण मंत्रालय के डैशबोर्ड https://dashboard.kheloindia.gov.in/ state-wise-khelo-india-centers पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

खेलो इंडिया स्कीम के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, स्कीम के तहत स्वीकृत अवसंरचना परियोजनाओं को पूरा करने की समय-सीमा इसकी स्वीकृति की तारीख से दो वर्ष है। इन परियोजनाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी अनुदानकर्ता की है।

****